संख्या- 12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0, कानपुर।

3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरप्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तरप्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 25 अगस्त, 2017

विषय:- जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा प्रदेश के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं आदि में सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विकसित गर्वनमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल को अंगीकर करते हुए इस पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस पोर्टल के उपयोग हेतु सभी विभागों//संस्थाओं द्वारा प्राइमरी यूजर/सेकेण्डरी यूजर (बायर/कन्साइनी/डी0डी0ओ0) के रूप में कार्य करने के लिए अधिकारियों को पदनाम से प्राधिकृत करना आवश्यक होगा। उक्त जेमपोर्टल gem.gov.in के मुख पृष्ठ पर ट्रेनिंग लिंक पर जाकर बिन्दु-2 पर जाकर ट्रेनिंग मटेरियल लिंक पर क्रय करने वाली संस्थाओं के पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देश दिये गये हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन दिशा-निर्देशों को डाउनलोड कर इसके अनुरूप अपने विभाग में शासकीय उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण कराने का कष्ट करें।

3- सुगमता के लिए पुन: संक्षेप में पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नवत् स्पष्ट की जा रही है:-

(i)समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों, संस्थानों/ स्वायतशासी संस्थाओं के प्रमुख तथा उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्राइमरी यूजर बनाये जाने के आदेश निर्गत किये जाने होंगें। सुविधा हेतु मॉडल आदेश की प्रति संलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

(ii) तत्पश्चात् प्राइमरी यूजर द्वारा पोर्टल gem.gov.in पर sign up link पर जाकर स्वयं का पंजीकरण कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।